

## भाष्यमिक शिक्षको के सम्बन्धमे सुझावः

आयोग ने भाष्यमिक शिक्षको के सम्बन्ध में जो सुझाव दिये, उन्हे दूध तीन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं।

1  
2  
3  
4

(i) **प्रशिक्षण सम्बन्धी सुझावः**— 1. भाष्यमिक शिक्षको के प्रशिक्षण महाविद्यालय, विश्वविद्यालय से सम्बद्ध होने चाहिये। इनमें प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक होनी चाहिये।

1  
2

2. एम. एड. में उन्हे ही प्रवेश दिया जाये, जो स्नातक प्रशिक्षण (बी. एड.) उत्तीर्ण हो और जिन्हे कम से कम उवर्ष का शिक्षण अनुभव हो।

3  
4

3. शिक्षक-प्रशिक्षण विद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रशिक्षण-धियों से किसी प्रकार का शुल्क न ली जाये और उन्हे राज्य सरकार की ओर से छातृवृत्तियां दी जाये।

4. शिक्षक-प्रशिक्षण विद्यालयों और महाविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में सिद्धान्त और प्रायोगिक परीक्षण को बराबर का महत्व दिया जाये।

(ii) **निपुक्ति सम्बन्धी सुझावः**

1  
2

1. शिक्षको के नियुक्ति सम्बन्धी मिश्रित सामान्य बन्धनो जाये।  
2. प्रत्येक गैर सरकारी स्कूल में शिक्षको की निपुक्ति हेतु चयन समिति का गठन किया जाये।

(iii) **शिक्षको के वेतनमान एवं सेवाशर्तों सम्बन्धी सुझावः**

3  
4

1. सामान्य योग्यता और सामान्य कार्य करने वाले शिक्षको के वेतन सामान्य हो, चाहे वे किसी भी प्रकार के विद्यालयों में कार्यरत हो।
2. प्रधानाचार्यों को उच्च वेतनमान दिया जाये।
3. शिक्षको को प्राइवेट ट्रेडिंग की स्वीकृति न दी जाये।
4. योग्य एवं श्रेष्ठ शिक्षको को 58 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष की आयु पर सेवा निवृत्ति दी जाये।

## हालों के शारीरिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सुझाव:-

1. सभी प्रांतों में स्कूल स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू की जाये।
2. हालों के सामान्य रोगों का निःशुल्क उपचार किया जाये।
3. अस्वस्थ हालों का वर्ष में कई बार स्वास्थ्य परीक्षण किया जाये।
4. हातावसों में पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की जाये।

## माध्यमिक विद्यालयों के सम्बन्ध में सुझाव:-

1. प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में उचित भवन, फर्निचर एवं अन्य सामग्री होनी चाहिए।
2. प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में पौष्टिक मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की जाये।
3. प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में सत्र में कम से कम 200 कार्य दिवस हों।
4. प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में 2 माह का शूष्मावकाश तथा 10-10 दिन के शैलम्बे अवकाश और सभी सरकारी अवकाश हों।

## शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन एवं परामर्श सम्बन्धी सुझाव:-

1. प्रत्येक राज्य में एक शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्युरों की स्थापना की जाय।
2. मार्गदर्शन और परामर्श देते समय हालों की परिस्थितियों और क्षेत्रीय आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाये।
3. प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन एवं परामर्श सेवा की व्यवस्था की जाय।
4. मार्गदर्शन हालों के व्यक्तिगत शैली, रुचि, सम्मान और योग्यता के आधार पर किया जाये।

## माध्यमिक विद्यालयों के हालों के परीक्षा सम्बन्धी सुझाव:-

- निबंधात्मक परीक्षाओं में सुधार की जाये तथा विचार प्रदान प्रश्न पूछे जायें।
- परीक्षाओं को वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का

**कार्य प्रोग्राम किया जाये तभी प्राप्ति हो सकेगी**

3. वाद्य परीक्षाओं का आयोजन कम किया जाये। यह केवल माध्यमिक शिक्षा के समाधि पर ही हो।
4. वाद्य परीक्षा में किसी एक विषय में अनुत्तीर्ण हातों के लिए समाविभागीय [S.P. Examination] परीक्षा की व्यवस्था की जाये।
5. ग्रामीण परिषदों में अंग्रेजी के प्रकटन करके शैली में प्रकट किया जाये।

**माध्यमिक स्तर की व्यावसायिक शिक्षा सम्बन्धी सुझाव:-**

1. माध्यमिक स्कूलों को बहुउद्देश्य स्कूलों में बदला जाये।
2. माध्यमिक स्कूलों में किसी एक हस्तकार्य की शिक्षा अनिवार्य की जाये।
3. बड़े शहरों में पॉलीटेक्निक कॉलेज स्थापित किये जाये।

**स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में सुझाव:-**

1. बालकों की तरह बालिकाओं को भी किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार हो।
2. बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान के अध्यापन की व्यवस्था की जाये।
3. आवश्यकतानुसार बालिका विद्यालय खोले जाये।
4. जहाँ बालिका विद्यालय खोलना सम्भव न हो वहाँ सह शिक्षा की स्वीकृति दी जाये।

**धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा सम्बन्धी सुझाव:-**

1. माध्यमिक विद्यालयों में धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा को अनिवार्य न किया जाये।
2. अभिभावकों की स्वीकृति के आधार पर इसकी व्यवस्था की जा सकती है। यह शिक्षा स्कूल कार्य प्रारम्भ होने से

पहले अथवा उसके समाप्त होने के बाद।

### मूलभूतकन :- गुण -

1. नारी शिक्षा के विषय में ठोस सुझाव दिये।
2. शिक्षकों की दृष्टि में सुधार के उपाय बताये।
3. शिक्षा का माध्यम भातृ भाषा बनाने पर बल दिया।
4. शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन पर बल।
5. परीक्षा प्रणाली में सुधार के सुझाव।
6. चरित निर्माण एवं अनुशासन पर बल दिया।
7. शिक्षा के उपयुक्त उद्देश्य निर्धारित किये।
8. माध्यमिक शिक्षा के संरचना को व्यवस्थित किया।

### दोष :-

1. पाठ्यक्रम वैमिसाल था।
2. माध्यमिक शिक्षा का संगठन अस्पष्ट था।
3. पाठ्यक्रम में अत्यधिक भिन्नता के कारण चयन में कठिनाई थी।
4. गैर सरकारी विद्यालयों के बारे में सुझाव पढ़ने से परे थे।
5. बहुउद्देश्यीय स्कूलों का सुझाव निरर्थक था।
6. धार्मिक और नैतिक शिक्षा के सम्बन्ध में अनुपयुक्त सुझाव दिया गया था।